SEMESTER – II

CC – 6

HISTORY OF EUROPE AND MODERN WORLD (1919 - 2000)

- **Unit – I : Topic**

  Post World War-I Developments

  A. Paris peace conference and the peace treaties.

  B. League of Nations

  C. French quest for security and Locarno Pact, 1925

  D. Impact of Economic Depression in 1930.

Vetted by :

प्रो॰ (डॉ॰) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9835463960

डॉ॰ राजेश कुमार

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9430934482

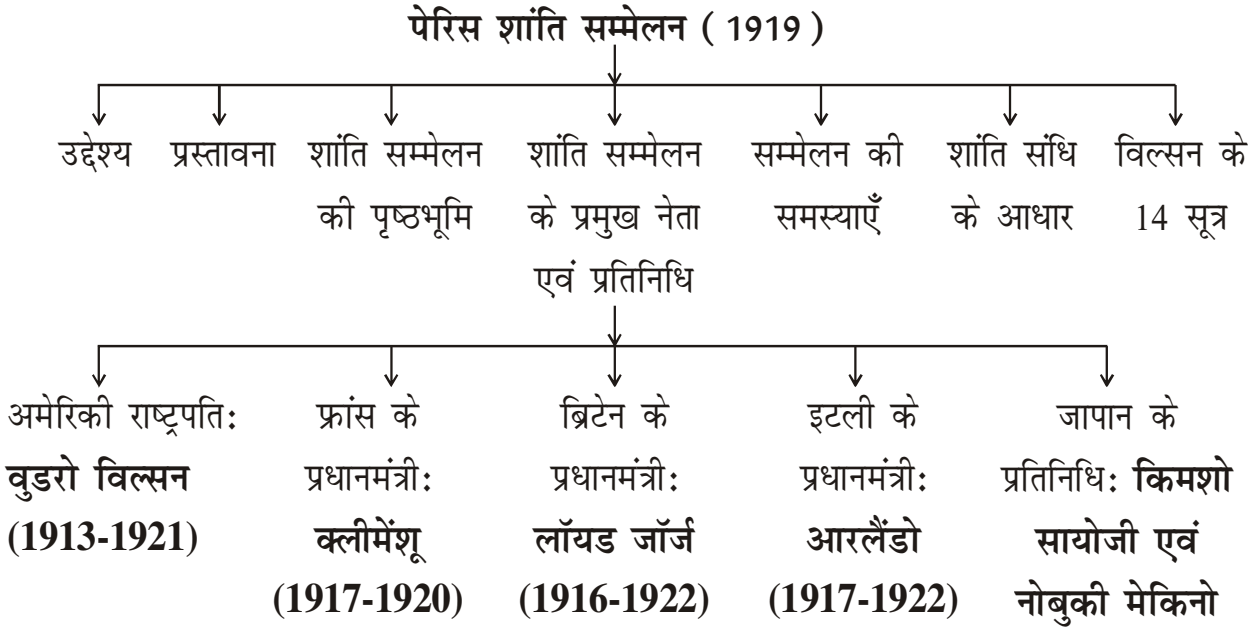

A. पेरिस शांति सम्मेलन (Paris Peace Conference)

➢ **उद्देश्य :–**

इकाई-I के इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

(i) सम्मेलन की पृष्ठभूमि को जान पाएँगे ।

(ii) सम्मेलन के प्रमुख नेताओं के बारे में जान पाएँगे ।

(iii) सम्मेलन की समस्याओं को आप समझ सकेंगे ।

(iv) शांति संधि के आधार को जान सकेंगे ।

(v) विल्सन के 14 सूत्र को रेखांकित कर सकेंगे ।

➢ प्रस्तावना :–

आप जानते होंगे कि किस तरह प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान आधुनिक हथियारों का खुले–आम प्रयोग एक–दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी देश कर रहे थे । इससे बड़े पैमाने पर जन–धन की समस्या हो रही थी । इसी बर्बादी के दौरान युद्ध को समाप्त करने के नियम–कायदों को भी विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं के द्वारा रखा जा रहा था । अंततः 1918 में धूरी राष्ट्रों के पराजय के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ । इसके पश्चात् 1919 ई॰ में युद्धोपरांत व्यवस्था को कायम रखने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति–सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस शांति सम्मेलन में विभिन्न पराजित देशों के साथ अलग–अलग संधियाँ की गई । इकाई-I के खंड-A में अभी हमलोग 'पेरिस शांति सम्मेलन' का अध्ययन करेंगे । इसके पश्चात् अगले चरण में विभिन्न देशों के साथ की गई संधियों के बारे में चर्चा करेंगे ।

➢ पृष्ठभूमि :–

साम्राज्यवादी आकांक्षाओं, गुप्त संधियों, हथियारों की होड़, औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, समाचार–पत्रों का झूठा प्रचार और ऑस्ट्रिया के राजकुमार एवं उसकी पत्नी की सेराजेवो में हत्या ने अंततः प्रथम विश्वयुद्ध (1914-1918) को जन्म दिया । इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों (इंगलैंड, फ्रांस, रूस) तथा इसके अन्य सहयोगियों ने अंततः धूरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया) को पराजित कर दिया। (हालाँकि इटली बाद में युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में चला गया था ।) युद्ध के पश्चात् विश्व में शांति–व्यवस्था को बनाए रखने तथा मित्र राष्ट्रों के द्वारा धूरी राष्ट्रों से बदला लेने के उद्देश्य से पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पाँच (5) देशों अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, जापान, इटली की प्रमुख भूमिका रही । सम्मेलन के दौरान फ्रांस का जर्मनी के प्रति जो प्रतिशोधात्मक रवैया था । वह खुलकर लोगों के सामने आ गया । इसी तरह विभिन्न राष्ट्र अपने–अपने राष्ट्रीय हित को प्रमुखता प्रदान कर रहे थे । इसका परिणाम यह हुआ कि पेरिस शांति सम्मेलन ने पूरे विश्व को कुछ

सालों की शांति तो प्रदान की, परंतु यह शांति स्थायी नहीं हो सकी और अंततः 1939 में पुनः विश्वयुद्ध छिड़ गया ।

- **पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख नेता/प्रतिनिधि :–**

पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख नेता अमेरिकी राष्ट्रपति : **वुडरो विल्सन (1913-1921),** फ्रांसीसी प्रधानमंत्री : **क्लीमेंशू (Clemenceau) (1917-1920),** ब्रिटिश प्रधानमंत्री : **लॉयड जॉर्ज (1916-1922),** इटली के प्रधानमंत्री : **आरलैंडो (1917-1922)** तथा जापान के प्रतिनिधि : **किमशो सायोंजी एवं नोबुकी मेकिनो** थे ।

(i) वुडरो विल्सन (1913-1921) – पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे प्रमुख प्रतिनिधि अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ही थे । इनके प्रतिनिधिमंडल के कुछ टास्कर व्लिस । विल्सन के विचार आदर्शवादी थे, परंतु व्यावहारिक रूप से उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था । वास्तव में संधि का जो अंतिम प्रारूप तैयार हुआ, उसमें विल्सन के सिद्धांतों को बहुत कम स्थानों पर कार्यांवित किया गया था । लॉयड जॉर्ज एवं क्लीमेंशू की कूटनीतिक चालों के सामने विल्सन नहीं ठहर सके ।

(ii) क्लीमेंशू (1917-1920) – पेरिस शांति सम्मेलन का एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लीमेंशू था । इसके प्रतिनिधित्वमंडल के अन्य सदस्य थे विदेश मंत्री पिशा; एड्रेतादू और केम ।

क्लीमेंशू अपने दीर्घकालीन अनुभव एवं कूटनीतिक योग्यता के कारण न केवल फ्रांस का बल्कि संपूर्ण सम्मेलन का सबसे प्रभावशाली नेता था । इसे फ्रांस के बाघ (Tiger) नाम से भी पुकारा जाता था । इसकी यह धारणा थी, कि जर्मनी के प्रति समझौतावादी नीति अपनाना एक बड़ी भूल होगी । इसके विल्सन के 'चौदह (14) सूत्रों' के विषय में व्यंग्य करते हुए कहा, "ईश्वर भी दस (10) आज्ञाओं से संतुष्ट हो गया, किंतु विल्सन की चौदह आज्ञाएँ हैं ।" स्वयं अमेरिका के विदेश मंत्री लांसिंग

(Lansing) ने लिखा था, कि "वह शांति सम्मेलन पर छाया रहा । उसमें महान् नेताओं की सभी आवश्यक गुण थे । क्लीमेंशू शांति सम्मेलन का सभापति भी था ।"

(iii) लॉयड जॉर्ज (1916-1922) – इस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे । इस प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य थे – वाल्फोर, बोनर ला, बार्नस ।

लॉयड जॉर्ज की सोच दूरगामी थी । पेरिस के सम्मेलन में इसकी सफलता का एक कारण यह भी था, कि वह विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपने देश के विशेषज्ञों की सलाह मानने को वह तत्पर रहता था । पेरिस के शांति वार्ता में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का ध्येय यह था, कि जर्मनी की नौ–सेना एवं थल सेना शक्ति कोइतना कम कर दिया जाए, कि वह भविष्य में किसी प्रकार का आक्रमण न कर सके । वे जर्मनी की औपनिवेशिक साम्राज्य को समाप्त करके उससे युद्ध क्षति के रूप में यथेष्ट धनराशि भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन लॉयड जॉर्ज संधि के अति कठोरता के पक्ष में नहीं थे । वास्तव में ब्रिटेन की सरकार मध्य यूरोप में साम्यवाद के प्रभाव के बढ़ने की आशंका से भी चिंतित थे ।

(iv) आरलैंडो (1917-1922) – इटली की ओर से पेरिस शांति सम्मेलन में वहाँ के प्रधानमंत्री आरलैंडो शामिल हुए । इस प्रतिनिधिमंडल के एक अन्य प्रमुख सदस्य थे– सिडनी सोनिनो । इस समय इटली के राजा विक्टर एमयेनूल-III (1900-1946) था।

पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा । इसका एक कारण यह था, कि इटली के प्रतिनिधिमंडल ने मूलतः अपने देश के हितों और स्वार्थों की ओर ही अधिक ध्यान दिया और अन्य समस्याओं में रुचि नहीं ली । दूसरे आरलैंडो ने युद्धकाल में की गई गुप्त संधियों के अनुसार दिये गये वचनों/वादों को पूरा करने की मांग पर अड़ा रहा, जिससे विल्सन नाखुश था । कुछ समय बाद आरलैंडो सम्मेलन को छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि भेजे गये ।

(v) जापान के प्रतिनिधि : किमशो सायोंजी एवं नोबुकी मेकिनो – जापान के प्रमुख प्रतिनिधि किमोशी सायोंजी तथा नोबुकी मेकिनो ने पेरिस के सम्मेलन में केवल पूर्वी एशिया में जापान के हितों और विशेष रूप से शांतुग पर अधिकार करने के विषय में सक्रियता प्रदर्शित की थी । यूरोपीय समस्याओं पर विचार-विमर्श के समय वे मौन दर्शक बने रहे ।

Note : छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों में सबसे प्रभावशाली यूनान (ग्रीस) के प्रधानमंत्री वेनीजेलास (Venezelos) था ।

➢ **सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या :–**

शांति सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की व्यवस्था मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च युद्ध परिषद् एवं महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने किया था, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निश्चित किया, कि सम्मेलन में प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिनिधि होंगे । कुल मिलाकर इस सम्मेलन में 70 प्रतिनिधियों के भाग लेने की व्यवस्था की गई ।

सम्मेलन में 5 बड़े राज्य : इंगलैंड, फ्रांस, इटली, जापान तथा अमेरिका के 5-5 प्रतिनिधि; ब्रिटिश साम्राज्य के डोमिनियनों (अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका) तथा भारत से 2-2 प्रतिनिधि; बेल्जियम, चीन, यूनान, पोलैंड, पुर्तगाल, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और सर्बिया के 3 प्रतिनिधि; न्यूजीलैंड, मोंटेनीग्रो, श्याम (Siam), क्यूबा, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, लाइबेरिया, निकारागुआ, पनामा, बोलिविया, इक्वेडार, पेरू तथा युराग्वे से एक-एक प्रतिनिधि भेजने का तीन (3) प्रावधान भेजने का प्रावधान को भेजने की अनुमति दी गई । बेल्जियम और सर्बिया केवल दो (2) प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं थे । अत: इन देशों को भी तीन प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई ।

18 जनवरी, 1919 को सम्मेलन के प्रथम पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पाइनकर (Poincare) द्वारा किया गया । अपने भाषण में पाइनकर ने अन्य

बातों के अलावा इस बात पर जोर दिया कि "विश्व का भविष्य आपके हाथों में है।" तत्पश्चात् क्लीमेंशू को सर्वसम्मति से सम्मेलन का सभापति बनाया गया ।

संधि की रूप-रेखा तैयार करने का कार्य समग्र अधिवेशन के द्वारा कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता था । अतः व्यावहारिक कार्यों के लिए एक सर्वोच्च शांति परिषद् (Supreme Peace Council) या दस (10) सदस्यों की परिषद् गठित की गई । फिर इसमें सुधार करते हुए चार (4) बड़े राज्यों की समिति गठित की गई । जापान को इसमें स्थान नहीं दिया गया । इसके बाद इटली भी बाहर हो गया । तदुपरांत केवल तीन बड़े राज्यों ने शेष कार्य संपन्न किया ।

इस मुख्य समिति के अतिरिक्त, संधि से संबंधित विभिन्न आवश्कय विषयों की छान-बीन करने तथा उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लगभग 58 आयोग एवं समितियाँ बनाई गई । इनमें राष्ट्रसंघ संबंधी आयोग, क्षतिपूर्ति संबंधी आयोग, क्षेत्रीय समस्याओं संबंधी आयोग आदि अधिक महत्वपूर्ण थे ।

- **सम्मेलन की समस्याएँ :-**

समझौते की एक ऐसी रूप-रेखा तैयार करना, जो महाशक्तियों एवं अन्य सहयोगी राज्यों को मान्य हो ।

- शांति को स्थायी बनाने की व्यवस्था करना
- यूरोपीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को नये आधार पर पुनर्स्थापित करना
- मध्य और पूर्वी यूराप के लाखों भूख से पीड़ित लोगों की खाद्य-समस्या को हल करना
- विजयोन्मत सेनाओं पर नियंत्रण रखना था और प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित जनमत को संतुष्ट करना था ।
- सबसे पहला मतभेद सम्मेलन की कार्य-प्रणली के संबंध में था । राष्ट्रपति विल्सन प्रकट रूप से किये गये प्रत्यक्ष समझौते करने के पक्ष में था और गुप्त निर्णयों तथा गुप्त समझौते का कट्टर विरोधी था । लेकिन पर संभव नहीं था ।

- सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई मित्र राज्यों द्वारा युद्ध काल में की गई गुप्त संधियों के अनुसार दिये गये आश्वासनों और विल्सन के आदर्शवादी **14 सूत्रों** के बीच सामंजस्य स्थापित करने की थी ।
- इसके अतिरिक्त लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंशू और आरलैंडो के बीच भी मतैक्य नहीं था ।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है, कि पेरिस शांति सम्मेलन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था । एक चाहता था, कि ऐसा निष्पक्ष न्याय हो जिससे पराजित 9 राष्ट्रों की भावनाओं का भी कद्र हो । दूसरा पक्ष चाहता था, कि शक्ति संतुलन बना रहे और विजयी राष्ट्रों को प्रादेशिक तथा आर्थिक लाभ हो । इस प्रकार शांति-सम्मेलन का काम बिल्कुल अशांत एवं संघर्षपूर्ण वातारवरण में प्रारंभ हुआ था, फिर भी सम्मेलन ने अपना का पूरा किया ।

➢ **शांति संधि के आधार :–**

- संधि का निर्माण करते समय **तीन बड़े राज्यों** को रूस की घटनाओं का हमेशा ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि 1919 में रूस में सामयवाद के प्रसार का भय बढ़ता जा रहा था। इसी भय के कारण वे फिनलैंड से लेकर पोलैंड और रूमानिया तक पूर्वी राज्यों को बड़ा और शक्तिशाली बनाने का विचार करने लगे ।
- मित्र राज्यों ने अंतत: **14 सूत्रों** को संधि का आधार मान लिया था, परंतु मित्र राज्यों को संधि का निर्माण करते समय युद्ध काल में की गई गुप्त संधियों के अनुसार दिये गये वचनों को भी पूरा करना था ।

➢ **विल्सन के चौदह सूत्र :–**

राष्ट्रपति विल्सन ने 8 जनवरी, 1918 की अमेरिका की कांग्रेस को दिये गये संदेश में 14 सूत्र रखे, जिसके आधार पर न्यायपूर्ण शांति की जा सकती थी । शर्तें थी :

(1) शांति संधियाँ प्रकट रूप से की जाए और उसके पश्चात् किसी प्रकार के गुप्त कूटनीतिक समझौते न किये जाये ।

(2) शांति और युद्ध काल में समुद्रों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहें और वे सबके लिए खुले रहे।

(3) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिये जाये और सभी राज्यों को व्यापार करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो ।

(4) सभी राज्य केवल उतने शस्त्रास्त्र रखने का आश्वासन दें, जितने आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक है ।

(5) सभी राष्ट्रों के औपनिवेशिक दावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निपटारा किया जाये, किन्तु ऐसे मामलों का निर्माण करते समय वहाँ की सरकार को प्रभुता के दावे के साथ-साथ उस क्षेत्र की जनता के हितों को समान रूप से महत्व दिया जाए ।

(6) रूस की भूमि से सभी सेनाएँ हटा ली जाये तथा रूस से संबंधित सभी प्रश्नों का इस प्रकार समाधान किया जाए, जिससे रूस को अपना राजनीतिक विकास करने तथा राष्ट्रीय नीति के स्वतंत्र निर्धारण का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके ।

(7) बेल्जियम से जर्मन सेनाएँ हटा ली जाए और उसको पुनः पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनने का अवसर दिया जाए ।

(8) संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र से जर्मनी की सेनाएँ हटा ली जाएँ और एल्ससे-लॉरेन का प्रदेश फ्रांस को लौटा दिया जाए ।

(9) राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाएँ पुनः निश्चित की गई ।

(10) ऑस्ट्रिया हंगरी की जनता को पूर्ण स्वायत्त शासन स्थापित करने का अवसर दिया जाए।

(11) रुमानिया, सर्बिया तथा मान्टोनिग्रो को खाली कर देना चाहिए । उनके जिन प्रदेशों पर विजय स्थापित कर ली गई है, उन्हें लौटा दिया जाएगा ।

(12) आधुनिक ऑटोमन साम्राज्य को केवल तुर्क-प्रधान देशों तक ही सीमित रखा जाए और उन सीमाओं के भीतर उसकी संपूर्ण प्रभुसत्ता का आश्वासन दे दिया जाए ।

(13) एक स्वाधीन पोलैंड राज्य स्थापित कर दिया जाय, जिसमें वे प्रदेश सम्मिलित किये जाएँ, जहाँ पोल जाति अत्यधिक बहुमत में रहती है ।

(14) छोटे-बड़े सभी राज्यों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाए ।

इन्हीं परिस्थितियों में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया तथा पराजित राष्ट्रों के साथ अलग-अलग संधियाँ की गई, जिसकी चर्चा अगले इकाई में की जाएगी ।

Suggested Readings :

1. E. H. Carr – International Relations between the Two world Wars - 1919, 1939.

2. Partha Sarthi Gupta – यूरोप का इतिहास, भाग-2

3. लाल बहादुर वर्मा – यूरोप का इतिहास, भाग-2

4. देवेंद्र सिंह चौहान – समकालीन यूरोप, भाग-2